



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पत्रांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02- / 2020

दिनांक 08.07.2020

सूचना

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, वर्धा कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के कारण पिपरी मेघे को दिनांक 08.07.2020 से 10.07.2020 तक सील किया गया है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी/कर्मचारी पिपरी मेघे ग्राम पंचायत के सील किए गए क्षेत्र से आते हैं वे दिनांक 10.07.2020 तक घर से ही कार्य करेंगे। इस अवधि में विश्वविद्यालय का पंजाब कॉलोनी का द्वार बंद रहेगा। पिपरी मेघे ग्राम पंचायत एवं पंजाब कालोनी के रास्ते से आने वाले कर्मी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से आयेंगे।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी की जा रही है।

कादर खान

(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव

प्रति,

1. संबंधित समस्त कर्मी
2. कुलपति कार्यालय
3. स्थापना एवं प्रशासन
4. सामान्य प्रशासन
5. सुरक्षा अधिकारी
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट।